

8. ब्रांड के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में बजट प्रावधान के अंतर्गत राशि की निकासी जायेगी।
9. कार्यपालक अभियंता (PIU) का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टिताओं/विशिष्टि के द्वारा सुनिश्चित करा कर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्ण होकर ही राशि की निकासी एवं व्यय करेंगे।
10. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों का अद्वितीय किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुनिश्चित प्रावधानों के आलोक में उपबंधित उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
11. यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है। योजना के अनुसार वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका सं0- मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0 03-113/2020 सं0- 9 /टी0 पर दिनांक 25.8.2020 को प्राप्त है।
12. यह राशि उसी मद्दे पर खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुनर्विनियोजित की गयी है, अन्य मार्ग पर नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टिताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अंदर कार्य पूर्ण कराना युक्ति किया जायेगा।
14. योजना के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण सरकार से निर्गत आदेशों में प्राप्त सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अंतराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यान्वयन समग्र तथा गुणवत्तापूर्वक संपन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जायेंगे।
15. वित्त विभाग के पत्रांक-770, दिनांक 20.09.11 के द्वारा सूचित किया गया है कि RIDP अंतर्गत नई परियोजनाओं की प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृति हेतु भेजी जाये।

विश्वासभाजन

२८८५८०८

(रांजय द्वय)

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0-03-113/2020 - ३०३४

/पटना, दिनांक-३१/८/२०२०

प्रतिलिपि- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२८८५८०८

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0-03-113/2020 - ३०३४

/पटना, दिनांक-३१/८/२०२०

प्रतिलिपि- कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२८८५८०८

अपर सचिव

ज्ञापांक- मु0 30-4 (मु0) रा0 यो0-03-113/2020 - ३०४३

/पटना, दिनांक-३१/८/२०२०

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग/कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिला पदाधिकारी, भोजपुर/उप विकास, आयुक्त भोजपुर/अग्रियंता प्रभुख, ग्रामीण कार्य विभाग/सचिव सह इम्पावर्ड ऑफिसर ब्रांड/मुख्य अभियंता-1, पटना ग्रा० का० वि०/मु0 30-4 (मुख्यालय) ग्रा० का० वि०/अधीक्षण अभियंता, ग्रा० का० वि०, कार्य अंचल, आरा/कार्यपालक अभियंता, ग्रा० का० वि० कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर/मुख्य महाप्रबंधक, नावाड़; बिहार क्षेत्रीय कार्यालय (भौर्या काम्पलेक्स पॉवर्हों नाडिल) डाक बंगला रोड, पटना, आई० टी० मैनेजर, ग्रा० का० वि० को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

२८८५८०८

अपर सचिव

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक— मु० अ०-४ (मु०) रा० यो०-०३-११३/२०२० - ३०३४

/ पटना, दिनांक- ३१/३/२०२०

प्रेषक,

संजय दूबे भा० प्र० स०

अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी)
बिहार, पटना।

विषय:- योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—0105—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाई सम्पोषित योजना) उपशीर्ष के अन्तर्गत राज्य के गोजपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम ज्ञानपुरा में शहिद चंदन कुमार के घर से शहिद चंदन कुमार अंत्येष्टि स्थान तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई ०.४२० किमी निर्माण हेतु रु० २८.५९५ लाख (अठाइस लाख उनसठ हजार पाँच सौ रुपये लाख) की लागत पर प्रशासनिक रवीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—उप शीर्ष—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाई सम्पोषित योजना) उप शीर्ष के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०—२१ में बिहार राज्य के गोजपुर जिलान्तर्गत कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर के अन्तर्गत जगदीशपुर प्रखंड के ग्राम ज्ञानपुरा में शहिद चंदन कुमार के घर से शहिद चंदन कुमार अंत्येष्टि स्थान तक पथ का निर्माण कार्य जिसकी लम्बाई ०.४२० किमी निर्माण हेतु रु० २८.५९५ लाख (अठाइस लाख उनसठ हजार पाँच सौ रुपये लाख) की लागत पर प्रशासनिक रवीकृति प्रदान किया जाता है।

1. कार्यपालक अभियंता के ज्ञापांक 275 दिनांक ०८.०३.२०१९ से पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना सं०१७२५ (S) दिनांक १८.०२.२०१९ के आलोक में लोक निर्माण संहिता भाग—I (१९५८) के नियम १६९ 'क' के प्रतिस्थापन उपनियम (III) के प्रावधानों के अधीन पथ निर्माण कराए जाने का प्रस्ताव मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग पटना से किया गया है। पथ निर्माण विभाग की संविधित अधिसूचना के आलोक में इस राशि हेतु सक्षम प्राधिकार मुख्य अभियंता से अनुगोदन प्राप्त कर विभागीय रूप से कार्य संपादित किया जाएगा। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर द्वारा इस योजना के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। योजना के कियान्वयन से पूर्व इस पर सक्षम पदाधिकारी से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त कर ली जायगी; पथ निर्माण विभाग के उक्त अधिसूचना के उल्लेखित परियोजन का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. इस योजना का व्यय योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाई त्रैण सम्पोषित योजना)—उपशीर्ष जिसका विपत्र कोड—३७—४५१५००१०३०१०५ है, जो अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०—२१ में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।
3. योजना शीर्ष 4515—अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय—103—ग्राम विकास—राज्य योजना—०१०५—ग्राम विकास की परियोजनाएं (नाबाई त्रैण सम्पोषित योजना) उपशीर्ष जो अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०२०—२१ में ३००.०० करोड़ रुपये का बजट उपबंध रवीकृत है।
4. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं का वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह तक पाच तारीख तक ऑनलाईन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल, आरा एवं मुख्य अभियंता के गाध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे।
5. कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, जगदीशपुर यह सुनिश्चित करेंगे कि यह योजना किसी अन्य योजना शीर्ष अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है।
6. इस योजना का व्ययन माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०— मु० ३०/४ (३०/११ यो०-०३-११३/२०२० के पू० सं०-०३/टि० पर दिनांक ०७.०७.२०२० को किया गया।
7. इस योजना के स्वीकृति सक्षम प्राधिकार सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा संचिका सं०— मु० ३०/५ (मु०) रा० यो० ०३-११३/२०२० के पू० सं०-०६/टि० पर प्राप्त है।

१५ अप्रैल २०२०